



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2278]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2019/आषाढ़ 21, 1941

No. 2278]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2019/ASHADHA 21, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

का.आ. 2504(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2788 (अ), तारीख 29 अक्तूबर, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 93 (नया रारा-509) के अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्शन का 79.000 कि.मी. से 232.000 कि.मी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93(नया रारा – 509) के डिजाइन 85.650 कि.मी. से 232.020 कि.मी (विद्यमान चैनेज 85.650 किमी से 232.000 किमी) तक और 108.264 किमी से 108.382 किमी (0.118 किमी लंबाई) की संरचना को छोड़कर, अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्शन के चार लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 17.362 किमी के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर और पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 114.248 किमी और 16.140 किमी (जिसकी लंबाई 1.614 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए 60% की आधार दर और बाइपासों जिनकी लंबाई 13.028 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है के उपयोग हेतु नीचे सारिणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 90% की आधार दर से शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
बुलंदशहर जिले में बालोन गांव के निकट रारा -93 (नया रारा-509) के 136.965 किमी (विद्यमान चैनेज 136.500 किमी) पर	10.431	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
	56.673 (10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के बाइपास और 60 मी से अधिक की लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
मुरादाबाद जिले में मोहम्मद इब्राहिमपुर गाँव के निकट रारा- 93 (नया रारा-509) के 207.900 किमी (विद्यमान चैनेज 208.426 किमी) पर	6.931	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	57.575 (10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के बाइपास और 60 मी से अधिक की लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

- 2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रूपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी - 3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए	समाप्त होते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रूपए में)	
बुलंदशहर जिले में बालोन गांव के निकट रारा -93 (नया रारा-509) के 136.965 किमी (विद्यमान चैनेज 136.500 किमी) पर	जवान बाइपास	95.085	97.575	2.490	13.32	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	कोसर कलाँ बाईपास	129.075	131.550	2.475	13.25	
मुरादाबाद जिले में मोहम्मद इब्राहिमपुर गाँव के निकट रारा-93 (नया रारा-509) के 207.900 किमी (विद्यमान चैनेज 208.426 किमी) पर	चंदौसी बाइपास	192.430	196.880	4.324 (60 मी से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	23.82	
	कुंदरकी बाइपास	218.080	221.819	3.739	20.34	
	कुल लंबाई				13.028	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर (प्लाजाओं), निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी - 4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
बुलंदशहर जिले में बालोन गांव के निकट रारा -93 (नया रारा-509) के 136.965 किमी (विद्यमान चैनेज 136.500 किमी) पर	1.058* किमी	10.580	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

मुरादाबाद जिले में मोहम्मद इब्राहिमपुर गाँव के निकट रारा- 93 (नया रारा-509) के 207.900 किमी (विद्यमान चैनेज 208.426 किमी) पर	0.556** किमी	5.560	
	1.614	16.140	

* 60 मी से अधिक लंबाई की संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	139.816	139.884	बड़ा पुल	0.068
2	139.916	139.984	बड़ा पुल	0.068
3	140.549	141.471	बड़ा पुल	0.922
संरचना की कुल लंबाई				1.058

** 60 मी से अधिक लंबाई की संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	160.421	160.539	बड़ा पुल	0.118
2	163.045	163.115	बड़ा पुल	0.070
3	184.880	185.000	बड़ा पुल	0.120
4	193.109	193.173	आरओबी	0.064
5	194.426	194.488	आरओबी	0.062
6	204.626	204.687	बड़ा पुल	0.061
7	220.969	221.030	आरओबी	0.061
संरचना की कुल लंबाई				0.556

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष **2019-20** के लिए मासिक पास की दर **265.00/-**रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारिणी-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1 ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस **परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 942.46 करोड़ रुपए है।** पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/547/सीओ/17-18/जीसी/अलीगढ़-मुरादाबाद सेक्शन]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2019

S.O. 2504(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O 2788 (E) dated 29th October'2014 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 79.000 to kilometer 232.000 of Aligarh-Moradabad Section of National Highways-93 (New NH-509), in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) in Table-1 for net road section length of 17.362 km for the use of four and more lane section and at sixty per cent of the base rate for use of two lane with paved shoulder section for net road section length of 114.248 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 16.140 km (having length of 1.614 km) and at ninety percent of the base rate for bypasses having length of 13.028 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Aligarh-Moradabad section from design kilometer 85.650 to kilometer 232.020 (existing chainage km 85.650 to km 232.000) excluding the structure from km 108.264 to km 108.382 (length 0.118 km) on NH 93 (New NH-

509) in the state of Uttar Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely :-

Table-2		
Location of Fee Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
At km 136.965 (existing chainage km 136.500) on NH-93 (new NH-509) near village Balon in Bulandshahar District	10.431	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	56.673 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 207.900 (existing chainage km 208.426) on NH-93 (new NH-509) near village Mohammad Ibrahimpur in Moradabad District	6.931	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	57.575 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(s) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 136.965 (existing chainage km 136.500) on NH-93 (new NH-509) near village Balon in Bulandshahar District	Jawan Bypass	95.085	97.575	2.490	13.32	90% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Kosar Kalan Bypass	129.075	131.550	2.475	13.25	

At km 207.900 (existing chainage km 208.426) on NH-93 (new NH-509) near village Mohammad Ibrahimpur in Moradabad District	Chandausi Bypass	192.430	196.880	4.324 (excluding length of structure(>60m))	23.82
	Kundarki Bypass	218.080	221.819	3.739	20.34
	Total Length				13.028

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 136.965 (existing chainage km 136.500) on NH-93 (new NH-509) near village Balon in Bulandshahar District	1.058* Km	10.580	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 207.900 (existing chainage km 208.426) on NH-93 (new NH-509) near village Mohammad Ibrahimpur in Moradabad District	0.556** km	5.560	
	1.614	16.140	

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	139.816	139.884	Major Bridge	0.068
2	139.916	139.984	Major Bridge	0.068
3	140.549	141.471	Major Bridge	0.922
Total length of structure				1.058

**The details of structures (> 60 m length) are as under:

S.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	160.421	160.539	Major Bridge	0.118
2	163.045	163.115	Major Bridge	0.070
3	184.880	185.000	Major Bridge	0.120
4	193.109	193.173	ROB	0.064

5	194.426	194.488	ROB	0.062
6	204.626	204.687	Major Bridge	0.061
7	220.969	221.030	ROB	0.061
Total length of structure				0.556

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 942.46 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/17-18/GC/Aligarh-Moradabad Section]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.